पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना

आदेश

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या–4685 वि0 (2) दिनांक–25.06.2003 तथा अधिसूचना सं0–1802 दिनांक–23.03.2006 के आलोक में बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली' 2003 एवं बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) संशोधन नियमावली' 2006, वित्त विभाग के संकल्प सं0–7566, दिनांक–14.07.2010, वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या–6068, दिनांक–13.06.2013, वित्त विभाग के पत्रांक–10936 (वि0) दिनांक–27.11.2014 के आलोक में ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 हेतु गठित विभागीय स्क्रीनिंग कमिटी की बैठक दिनांक–07.02.2018 में लिये गये निर्णय/अनुशंसा (जो कि पशुपालन निदेशालय के ज्ञापांक–544 (नि0) दिनांक–22.02.2018 से निर्गत है) के आधार पर बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त्त ''सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2003 एवं रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010'' के प्रावधानों के अन्तर्गत पशुपालन निदेशालय के अधीन विभिन्न संवर्गों/पदों के विरूद्ध नियुक्त निम्नांकित कुल–01 कर्मी को उनके नाम के सामने स्तम्भ–5, 6 एवं 7 में अंकित तिथि के प्रभाव से क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम, पदनाम एवं कार्यालय का नाम	जन्म तिथि/ सेवानिवृत्ति की तिथि	नियुक्ति की तिथि	प्रथम ए0सी0पी0/ एम0ए0सी0पी0 की देय तिथि एवं ग्रेड वेतन	द्वितीय ए0सी0पी0/ एम0ए0सी0पी0 की देय तिथि एवं ग्रेड वेतन	तृतीय एम0ए0सी0पी0 की देय तिथि एवं ग्रेड वेतन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मो0 अतिकुल्लाह, विद्युत यांत्रिक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना।	09.01.1960 31.01.2020	14.03.1981 इलेक्ट्रीशियन	प्राप्त	प्राप्त	14.03.2011 ग्रेड वेतन–4600	

2– वित्त विभाग की अधिसूचना सं0 1802 दिनांक 23.03.06 में निहित प्रावधान के आलोक में उपरोक्त सभी कर्मियों का वेतन निर्धारण मौलिक नियमावली के नियम 22 (i) ए (i) एवं सुसंगत प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

3– उपरोक्त किसी भी कर्मी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित कर्मी की ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 के लाभ की अनुमान्यता को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा एवं इसके फलस्वरूप अनुमान्यता से अधिक प्राप्त किसी भी वित्तीय लाभ की राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी।

4– कर्मियों को स्वीकृत ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 की देय तिथि के पूर्व से अधिक ग्रेड वेतन /वेतनमान पाने वाले कर्मियों से अधिक्य निकासी की वसूली संबंधित कार्यालय प्रधान सुनिश्चित करेंगे।

5– कर्मियो के संबंध में प्रस्ताव भेजने वाले कार्यालय का नाम (जहाँ उक्त कर्मी तत्समय पदस्थापित थे) इस विवरणी के स्तम्भ–2 में अंकित है। ऐसे कर्मी जिनका सम्प्रति स्थानान्तरण किसी अन्य कार्यालय में हो गया है उनके संबंध में उनका कार्यालय– वर्तमान पदस्थापन कार्यालय समझा जायेगा एवं तदनुसार सभी अनुवर्ती कार्रवाई उनके वर्तमान पदस्थापन के कार्यालय प्रधान द्वारा की जायेगी। इस संबंध में अलग से शुद्धि पत्र निर्गत किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

6– यह आदेश ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 हेतु गठित विभागीय स्क्रीनिंग कमिटी की बैठक दिनांक–07.02.2018 में लिये गये निर्णय/अनुशंसा (जो कि पशुपालन निदेशालय के ज्ञापांक–544 (नि0) दिनांक–

22.02.2018 से निर्गत है) के आधार पर निर्गत की जा रही है। उल्लेखनीय है कि उक्त बैठक में पशुपालन निदेशालय में गठित ए0सी0पी0 कोषाग द्वारा विभिन्न कार्यालय से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर समीक्षोपरांत उपस्थापित किये गये विवरणी के आधार पर निर्णय/अनुशंसा की गई है।

7– निदेश दिया जाता है कि सभी संबंधित कार्यालय प्रधान अपने स्तर से सभी संबंधित कर्मियों को इस आशय की सूचना उपलब्ध कराते हुये इनकी सेवा पुस्त में इस आदेश की प्रवृष्टि निशिचित रूप से करेंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितो को दी जाये।

ह0/–

(राधेश्याम साह)

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञापांक– 7 स्था0 (7) विविध–32/2016 618 (18) दिनांक– 27/02/2018

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी/महाप्रबंधक, केन्द्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, पटना/सभी सहायक निदेशक,कुक्कुट, क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र/चारा विकास पदाधिकारी, बिहार, पटना/सहायक निदेशक, पशुपालन सूचना एवं प्रसार, पटना/ गोशाला विकास पदाधिकारी, बिहार, पटना/विशेष उप निदेशक (पशु विकास), फ्रोजेन सीमेन बैंक–सह–बुल स्टेशन, पटना/परियोजना पदाधिकारी, फ्रोजेन सीमेन बैंक, मुजफ्फरपुर/बाँका/सभी विशेष उप निदेशक (पशु विकास), वृहत पशु विकास परियोजना/सभी उप निदेशक (पशु विकास) मध्यम पशु विकास परियोजना/सभी सहायक निदेशक (पशु विकास), लघु पशु विकास परियोजना/मुख्य अनुदेशक, पशुपालन विद्यालय डुमरॉव, बक्सर/परियोजना पदाधिकारी, विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, पटना/प्रबंधक, हरियाणा पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, डुमरांव, बक्सर/प्रबंधक, बकरी प्रजनन, मरंगा, पूर्णियाँ/सभी संबंधित कर्मी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– विभागीय स्क्रीनिंग कमिटी के सभी सदस्यों/पशुपालन निदेशालय के सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैंनेजर को (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।